

मुकदमा नम्बर 64 / 2024

ऑनलाईन नम्बर 2024 / 118

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक: 27.03.2025

चुनाराम पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

-प्रार्थी-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ।

-अप्रार्थी-

उपस्थिति:-

1. श्री के के पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू-राजस्व अधिनियम 1956

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 430/415 तादादी 1.1310 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में अवस्थित थी। खसरा नम्बर 430/415 तादादी 1.1310 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में से 0.2500 हैक्टेयर (2500 वर्गमीटर) भूमि को माननीय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ द्वारा दिनांक 28.02.2014 को संपरिवर्तित कर दी गई, जिसके संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 178/28.02.2014 है। संपरिवर्तित भूमि का ब्लूप्रिन्ट नक्शा भी तैयार किया गया था, जो संपरिवर्तित आदेश का ही हिस्सा है। खेत खसरा नम्बर 430/415 तादादी 1.1310 हैक्टेयर रोही लिखमीसर उत्तरादा के नये खसरा नम्बर 542/430 तादादी 0.2500 हैक्टेयर गै. मु. स्कूल, खसरा नम्बर 543/430 तादादी 0.8810 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ कायम हुए। प्रार्थी ने दिनांक 06.02.2024 को संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 542/430 तादादी 0.2500 हैक्टेयर गै.मु. स्कूल की जमाबन्दी व नक्शा की प्रतियां ऑनलाईन चौक की तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी का अंकन राही है, लेकिन ट्रैसनक्शा का अंकन संपरिवर्तित आदेश के अनुसार नहीं है, पूर्णतया भिन्न है, संपरिवर्तित आदेश से भिन्न तरमीम करने का हल्का पटवारी को कोई अधिकार हासिल नहीं है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 542/430 तादादी 0.2500 हैक्टेयर रोही लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के ट्रैस नक्शा का संपरिवर्तित आदेशानुसार नहीं होने के सम्बंध में दिनांक 26.02.2024 अप्रार्थी को बताया है, तो अप्रार्थी ने कहा कि अब तो तरमीम की जा चुकी है, आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तो हम तरमीम सही कर देगे। हल्का पटवारी अप्रार्थी का अधिनस्थ है तथा राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शो का संधारण अप्रार्थी के निर्देशन में ही राजस्व कर्मचारीयों द्वारा किया जाता है। प्रार्थी के पास प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। संपरिवर्तित आदेश से भिन्न तरमीम होने से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति हो रही है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय श्रीमान से भूमि संपरिवर्तित करवाकर स्कूल का निर्माण करवा दिया है। वर्तमान नक्शानुसार स्कूल का कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 543/430 में है। खसरा नम्बर 542/430 तादादी 0.2500 हैक्टेयर गै. मु. स्कूल ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से प्रार्थनापत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है खसरा नम्बर 542/430 क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर गै.मु. स्कूल रोही ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की तरमीम संपरिवर्तित आदेश दिनांक 28.02.2014 में वर्णित नक्शानुसार अप्रार्थी को आदेश दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी की ओर से पैराकारराज ने जवाब पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 430/15 तादादी 1.1310 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 542/430 क्षेत्रफल 0.2500 हैक्टेयर गै.मु. स्कूल रोही ग्राम लिखमीसर उत्तरादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ की तरमीम संपरिवर्तन आदेश दिनांक 28.02.2014 में वर्णित नक्शानुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।




(उमा मित्तल)
उपसखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

नजारा नगरपालिका वनाभ विवर्धनीस उत्तराण
सद. श्रीङ्गरगढ जिला :- वीकानेर



उल्लेखित में मोफे पर गैर मु. स्कुल निर्मित


23/5/2024
(तनुज कालेर)
राजस्व पटवारी
पटवार मंडल, उत्तराण
तहसील-श्रीङ्गरगढ